

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर (ग्रामीण)

कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर

क्रमांक: एफ () FCA / उवसवजीग्रा / 2023-24 / 6296
निमित्त:-

दिनांक : 7/11/2023

अधिकाधी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
बस्सी, जयपुर

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan) proposal no FP/RJ/ROAD/151862/2022 के संबंध में गैर वन भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर का 7972-74 दिनांक 20.10.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 5067-5069 दिनांक 18.08.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त, निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/ स्पष्टीकरण शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे:-

1. जिला कलेक्टर द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि प्रस्तुत करने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं हालांकि यूजर एजेन्सी द्वारा उप खण्ड अधिकारी द्वारा आलोच्य प्रकरण में 3.4764 हैक्टर गैर वन भूमि दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 3.5568 है0 है। समतुल्य गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। संदर्भित पत्र द्वारा उच्च कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि 'समतुल्य गैर वन भूमि के आरक्षित किये जाने पर ही प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।'
2. परिवेश पोर्टल पर पार्ट-1 में बिन्दु संख्या Point I के sub point (ii) में "Status of approval of the Standing Committee of national Board for the Wildlife (NBWL) to the project" के उत्तर में "Application yet to be submitted" प्रस्तुत किया गया है। इसें दुरुस्त करावें।

भवदीय

(सागर पवार, IFS)

उप वन संरक्षक
वन्यजीव जयपुर (ग्रामीण)

Signature valid

RajKaj Ref
5032032



Digitally signed by Saagar Pawar, Popat Pawar
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.11.07 10:46:48 IST
Reason: Approved